न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

निगरानी प्रकरण क्र......./18

II/निगरानी/सीहोर/भू.रा/2018/1284

धर्मेन्द्र आ.स्व.श्री उमराव सिंह आयु 48 वर्ष
कृषक व निवासी ग्राम सागोनी तहसील इछावर
जिला सीहोर..निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. मानसिंह आ.स्व.श्री उमराव सिंह आयु 30 वर्ष
2. प्रभा देवी पुत्री आ.स्व.श्री उमराव सिंह पत्नि रामसिंह आयु 30 वर्ष
वर्तमान निवासी श्रीराम कालोनी, स्टेशन रोड सीहोर
3. श्रीमती तेजकुंवर पुत्री आ.स्व.श्री उमराव सिंह पत्नि महेन्द्र आयु वयस्क
निवासी ग्राम बिलकिसगंज तहसील व जिला सीहोर
4. श्रीमती ललिता पुत्री आ.स्व.श्री उमराव सिंह पत्नि देवकरण आयु वयस्क
निवासी सारंगपुर टंकी चौराहा जिला राजगढ़
5. श्रीमती भारती धनगर पुत्री आ.स्व.श्री उमराव सिंह पत्नि सुमेर सिंह
निवासी सागोनी तह.इछावर जिला सीहोर ....प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 28/12/2017 जो प्रकरण क्रमांक 190/अ-6/2014-15 मानसिंह विरूद्ध धर्मेन्द्र में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार इछावर द्वारा पारित किया गया।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता आलोच्य आदेश से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्न तथ्य एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता हैं –

–:: तथ्य ::–

1. यह कि प्रतिनिगरानीकर्तागण द्वारा भूमि सर्वे नं.285/2 रकबा 3.116 हेक्टेयर स्थित ग्राम जमोनिया हटेसिंह तहसील इछावर जिला सीहोर जो पूर्व में स्व.श्री उमराव सिंह आ.दरयाब सिंह गाडरी निवासी भाऊखेडी के स्वत्व व आधिपत्य में स्थित थी पर फौती नामांतरण हेतु आवेदन पत्र दि.02.06.2015 को अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार इछावर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(103)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुपूर्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक III/निग-सीहोर/भू.रा./18/1284 धर्मेन्द्र / मानसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
18/01/19	आवेदक की ओर से श्री जय प्रकाश त्यागी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार - इछावर के प्रकरण क्रमांक 190/अ-6/14-15 में पारित आदेश दिनांक 28-12-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला - सीहोर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	